न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0, R. 5118-दो/15

आवेदक अभिभाषक
श्री बी.पी. चतुर्वेदी एड.द्वारा
पेश/20.10.15

शोभाकान्त दुबे तनय श्री अम्बिका प्रसाद दुबे उम्र 62 साल, पेशा- सेवानिवृत्त कर्मचारी निवासी ग्राम पुरैना तह0 हुजूर जिलारीवाम0प्र0,

---- निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

472
20.10.15

1- महेन्द्र कुमार दुबे तनय अम्बिका प्रसाद दुबे उम्र 56 साल, पेशा- पटवारी निवासी ग्राम पुरैना तह0 हुजूर जिलारीवाम0प्र0हालनिवासी आकाश गंगा नगर पतेरी किस्तु कुला स्कूल रोड के पूर्व दिशा में सतनाम0प्र0,

2- सुरेश चन्द्र दुबे तनय अम्बिका प्रसाददुबे उम्र 58 साल पेशा-कर्मचारी निवासी ग्राम पुरैना तह0हुजूर जिलारीवाम0प्र0, हाल निवासी शासकीय कन्यापरिसर पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर पिन कोड 484881 म0प्र0,

----गैर निगरानीकर्तागण/अना0गण,

निगरानी विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार महो0तह0 हुजूरजिला रीवाम0प्र0 के प्र0क्र0- 253/अ27/13-14 आदेश दिनांक 14-10-2015

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता 1859ई.

मान्यवर,

संक्षेप में प्रकरण निम्नलिखित हैं -

1- यह कि भूमि खसरा क्र0- 660,661,662,663,664,666,667,668 स्थित ग्राम पुरैना तह0 हुजूर जिला रीवाम0प्र0 जिसमें निगरानीकर्ता का 1/3 हिस्सा एवं गैर निगरानीकर्ता गण का 1/3 ,1/3 हिस्सा दर्ज शासकीय अभिलेख भूस्वामी एवं अधिपत्य धारी है, किन्तु सह भूमिस्वामी होने के कारण बैंक में ऋण किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने , खाद बीज एवं भूमि सुधार में कठिनाई होने के कारण भू राजस्व संहिता की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कियागया, तथा अनावेदक गणों की सूचना एवं नोटिस जारी की गयी ,सूचना एवं नोटिसके बावजूद प्रकरण मे जबाव प्रस्तुत नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप एकपक्षीय

क्र:

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-5118-दो/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.12.15	मेरे द्वारा प्रकरण में आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने गए हैं एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया है।	
	विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहे गए इन बिन्दुओं की उपलब्ध अभिलेख से पुष्टि होती है कि प्रकरण दि 19.3.15 को अनावेदक के विरुद्ध एकपक्षीय किए जाने के उपरान्त, दिनांक 8.4.15 को अनावेदक का आपत्ती आवेदन ले लिया गया, तदुपरान्त दि.9.9.15 को अनावेदक की आपत्ती को किसी न्यायालय का स्थगन नहीं होने का लेख करते हुए निरस्त करने के उपरान्त, दि.4.10.15 को मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन होने का लेख करते हुए प्रकरण समाप्त कर दिया गया है।	
	तहसील न्यायालय की आदेश पत्रिका को भी अत्यन्त खराब लिखावट में लिखा होने एवं सुगमता से पठनीय नहीं होने के कारण इस बाबत अप्रसन्नता व्यक्त करता हूँ।	
	साथ ही मैं यह भी पाता हूँ कि तहसीलदार ने प्रकरण निरस्त करते समय आक्षेपित आदेश दि. 4.10.15 में उस व्यवहारवाद का क्रमांक एवं उसकी अनिवार्य डीटेल्स	

[क्. प. उ.

R. S118/11/15   [illegible]

श्रीमाकान्त   महेन्द्र कुमार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	तक नहीं लिखी हैं जिनका आधार लेते हुए उन्होंने अपने न्यायालय का प्रकरण निरस्त किया है। ना ही उन्होंने ऐसे कारणों का खुलासा किया है जिनकी वजह से उन्होंने इस व्यवहार वाद के कारण अपने न्यायालय का प्रकरण समाप्त करना ज़रूरी समझा।	
	अतः, मैं तह. हुज़ूर, रीवा के प्र.क्र. 253/अ27/13-14 में पारित आक्षेपित आदेश दि. 4.10.15 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ, एवं तहसीलदार को यह निर्देश देता हूँ कि वे अपने न्यायालय के इस प्रकरण में नए सिरे से बोलता हुआ आदेश स्वच्छ लिखावट / टंकण में पारित करें, जिसमें वे अपने निर्णय के समस्त आधारों एवं कारणों का भली-भाँति खुलासा करें, एवं ऐसा आदेश पारित करने के पूर्व यदि विधि अथवा नैसर्गिक न्याय के अनुसार कोई भी चरण बाकी हो तो उसकी भी पहले पूर्ति करें।	
	प्रकरण समाप्त। पक्षकार सूचित हों। दा. द. हो।	
	[signature] 28.12.15 सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.